DJ.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

क्रमांक : स्था/विज्ञप्ति/चतु.श्रे./2022/ 1328 दिनांक : 5/4/2022

–:विज्ञप्ति:–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेशांक एफ.7(136/2)/ संस्था–संविदा सेवा/2022/174 दिनांक 31.03.2022 के प्रासंगिक राज.सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1)विधि–2 /विरसं(64)/2015 दिनांक 30.03.2022 तथा राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र कमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 08.02.2018 व 14.11.2018 के अनुसरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यक्ता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के विभागों/पी.एस.यू. से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियंत्रणाधीन स्थाई लोक अदालत, सीकर एवं तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ, लक्ष्मणगढ, रींगस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा सेवाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिनांक 31.03.2023 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो) हेतु निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के विरूद्ध सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा/राज्य सरकार के विभागों से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं निम्नानुसार ली जानी है:–

क्र.सं	कार्यालय	स्वीकृत (चतुर्थ श्रेणी) संविदा सेवा
01	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर	04
02	स्थाई लोक अदालत, सीकर	02
03	तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना	01
04	तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर	01
05	तालुका विधिक सेवा समिति, फतेहपुर	01
06	तालुका विधिक सेवा समिति, दांतारामगढ	01
07	तालुका विधिक सेवा समिति, लक्ष्मणगढ	01
08	तालुका विधिक सेवा समिति, रींगस	01
कुल		12

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा :–

1. उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी
2. सेवानिवृत कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभाग के माध्यम से उनके कर्मचारी।

ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों के अनुसार ली जावेगी।

अतः राज्य हित में कार्मिकों की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संवर्ग में सेवाऐं देने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 07.04.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर संलग्न दस्तावेजात सहित जरिये ई–मेल dlsa32sikar@gmail.com

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन फॉर्म https://districts.ecourts.gov.in/sikar की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि वे District Court, Sikar की उक्त वेबसाइट का अवलोकन अन्य निर्देशों बाबत् करते रहें।

—Sd—
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सीकर

क्रमांक : 1335

दिनांक– 5/4/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष / सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान ।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सीकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त सीकर न्यायक्षेत्र ।
5. जिला नियोजन अधिकारी, सीकर ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर को समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा ।
9. रक्षित पत्रावली ।

5/04/2022

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सीकर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

राज्य सरकार से सेवानिवृत कर्मचारीयों / विपरीत प्रतिनियुक्ति के संविदा पद पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में आवेदन का प्रारूप

चतुर्थ श्रेणी संविदा पद 02 / 2022

1. कर्मचारी का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. सेवा का नाम, जिससे संबंधित हैं ....
4. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन..
5. मूल विभाग का नाम..
6. सेवानिवृति के समय धारित पद..
7. धारित पद का वेतनमान सेवा निवृति के समय..
8. अनुभव..
9. सेवानिवृति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
   (एल पी सी संलग्न करे)..
10. मूल पेंशन राशि (पी.पी.ओं. संलग्न करे),..
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र..
12. स्थाई पता ....
13. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं ....

सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं एफ.17(10)डी.ओ.पी. / ए–11 / 94 दिनांक 08.02.2013 में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता वचनबंध के उक्त निर्बधंनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत हैं और वचन देता हैं।

स्थान :

दिनांक

सेवानिवृत कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी श्री .... जो सेवानिवृति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जात हैं कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमती .... रु. मासिक मूल वेतन.. आहरित कर रहा था/रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया हैं/हो गयी हैं और श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं हैं तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रहीं हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

दिनांक :

कमांक :

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं सील